# फर्द अहकाम

कुरडाराम बनाम रामनारायण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

केस संख्या अपील 9/2025 (APP)

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | 10/2/26 | ...पेश हुई। दी रिलिङ्कवार ... तारा ... अनुसार दि....20/2/26 ... को पेश हो। |
| | 20/2/2026 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर द्वि. जयपुर |
| | 25/02/2026 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। समयाभाव के कारण आदेश प्रसारित नहीं किये जा सके वास्ते आदेश दिनांक 27/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर द्वि. जयपुर |
| | 27/02/2026 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी विधिक प्रावधानों के आधार पर पूर्णतः विफल रहे हैं कि वे किसी अपरिहार्य या पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से वंचित रहे। अतः प्रार्थना पत्र 03/13.151 सीपीसी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर द्वि. जयपुर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी**
**आर.ए.एस.**

**प्रार्थना पत्र संख्या– 9/2025**

1. मुकन्दाराम पुत्र स्व. श्री कानाराम
2. जयनारायण पुत्र स्व. श्री कानाराम
3. हरिकिशन पुत्र स्व. श्री कानाराम
4. मूली देवी पत्नी स्व. श्री कानाराम

निवासीयान– ग्राम रायथल, तहसील जालसु, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

**बनाम**

1. रामनारायण पुत्र श्री चिमनाराम, जाति यादव, आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू,

.....अप्रार्थी / वादी

2. सांवरमल पुत्र स्व. श्री कानाराम, निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
3. सुजा देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल
4. प्रभू देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान
5. विकास पुत्र स्व. श्री हनुमान
6. शिवाली पुत्री स्व. श्री हनुमान
7. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील जालसु जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–प्रोफार्मा प्रतिवादीगण

**<u>प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र</u>**

दिनांक 27.02.2026

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि बाबत वाद संख्या 88/2024 उनवानी रामनारायण बनाम मुकन्दाराम व अन्य में श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 13.02.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 05.08.2025 को वाद एकपक्षीय निर्णय व डिकी किये जाने को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर अंकित किया गया प्रार्थी/वादी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दीवानी वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेध आदि का श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में दिनांक 13.02.2025 को प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 05.08.2025 को उक्त वाद में डिकी फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत किया जा रहा हैः–प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अनपढ व गरीब आदमी है तथा कानूनी दावा पचेदगियों को नहीं समझते है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय में नियत था

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

तथा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने उक्त उनवानी प्रकरण में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर दिया था। इसके पश्चात प्रार्थीगण ने अनेको बार अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हर बार प्रार्थी/प्रतिवादी को आश्वस्त किया कि प्रकरण लम्बित है तथा प्रकरण में जैसे ही प्रार्थी की आवश्यकता होगी प्रार्थी को सुचित कर दिया जावेगा। चूंकि प्रार्थी ने प्रकरण में अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर रखा था तथा प्रार्थी/प्रतिवादी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था इस कारण प्राथी ने हमेशा ही अपने अधिवक्ता के कथनो पर विश्वास कर लिया। माननीय न्यायालय के समक्ष इसी प्रकरण के नाम का एक दुसरा प्रकरण चल रहा है जिसमें प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होते है जिसकी तारीख पेशी में आने पर दिनांक 07.08. 2025 को प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 05.08.2025 को कर दिया गया है। दिनांक 07.08.2025 व 19.08 2025 से पूर्व प्रार्थी को उक्त उनवानी प्रकरण के निस्तारण होने की जानकारी नहीं थी इस कारण प्रार्थी पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। उक्त प्रकरण में अचल सम्पत्ति का विवाद है तथा प्रकरण में प्रार्थीगण/ प्रतिवादी के पास अपने बचाव के सम्पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध है परन्तु प्रार्थीगण/प्रतिवादी के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी को सुचित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी उक्त प्रकरण में अपना समुचित बचाव नहीं कर पाया है और इसी कारण माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। इस कारण उक्त उनवानी प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं हो सका है। प्रार्थी/प्रतिवादी की अनुपस्थिते श्रीमान न्यायालय के समक्ष इरातदन ना होकर प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के सुचित नहीं किये जाने के कारण हुई थी जबकि प्रकरण में अचल सम्पत्ति का विवाद है जो कि क्षमा किरा जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद के सभी पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही वाद पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए। इस कारण भी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 13.02.2025 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही व दिनांक 05.08.2025 को किया गया एकपक्षीय निर्णय व डिकी अपास्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण की प्रतिलिपि निकलवाई गई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी/प्रतिवादी को दिनांक 19.08.2025 को प्राप्त हुई इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। अतः वाद पत्र में श्रीमान न्यायालय द्वारा प्राथी के विरूद्ध दिनांक 05.08.2025 को वाद एकपक्षीय निर्णय व डिकी अपास्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हे बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्राथी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध दिनांक 23.12.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है:

1. समन की तामील एवं सूचना (Service of Summons): पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण (प्रार्थीगण) को इस प्रार्थना पत्र के संबंध में पंजीकृत ए.डी. (Regd- AD) के माध्यम से विधिवत नोटिस जारी किए गए थे, जिनकी तामील रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके बावजूद प्रार्थीगण नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहे, जो उनकी न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
2. "पर्याप्त कारण" की अवधारणा (Concept of Sufficient Cause): आदेश 9 नियम 13 CPC के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रार्थी को न्यायालय को संतुष्ट करना होता है कि वह किसी "पर्याप्त कारण" से उपस्थित होने में असमर्थ था। प्रार्थीगण का यह तर्क कि उनके अधिवक्ता ने उन्हें सूचित नहीं किया, विधि की दृष्टि में एक "पर्याप्त कारण" नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया है कि पक्षकार केवल अधिवक्ता पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।
3. प्रार्थी की सतर्कता (Diligence of Party): प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसी समय न्यायालय में उनका एक अन्य मामला भी चल रहा था, जिसमें वे उपस्थित हो रहे थे। यह तथ्य इस बात को पुष्ट करता है कि प्रार्थी न्यायालय की कार्यप्रणाली और तारीखों से भली–भांति अवगत थे। एक ही न्यायालय में उपस्थित होते हुए भी इस विशिष्ट प्रकरण की जानकारी न होने का तर्क तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। यह "चयनित विस्मृति" (Selective Amnesia) का मामला जान पड़ता है, जो कानूनी उपचार पाने हेतु आधार नहीं बन सकता।
4. देरी एवं लापरवाही (Delay and Negligence): एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.08.2025 को पारित हुआ, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रतिलिपि हेतु आवेदन में अत्यधिक विलंब किया गया। विधि सदैव जागरूक की सहायता करती है, सुप्त की नहीं (Vigilantibus non dormientibus jura subveniunt)।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचना एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर, प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि वे किसी अपरिहार्य या पर्याप्त कारण से न्यायालय में उपस्थित होने से वंचित रहे। न्यायालय की प्रक्रिया का लाभ केवल उन पक्षकारों को मिलना चाहिए जो न्याय के प्रति गंभीर हों। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 CPC एवं स्थगन प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज (Dismiss) किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर